

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

ई-मेल

पटना-15, दिनांक-01/03/25

विषय :- ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर लिपिकीय/गणितीय त्रुटियों के शुद्धिकरण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-974(8), दिनांक-31.12.2018 एवं पत्रांक-756(8), दिनांक-28.10.2019
महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों को ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर लिपिकीय/गणितीय त्रुटियों के शुद्धिकरण के संबंध में पूर्व में प्रासंगिक पत्र निर्गत है।

2. उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-16 (अध्याय-9) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में किया जाता है, जिसके तहत "समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों।"

3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-152 में वर्णित है कि -

"Amendment of judgments, decrees or orders, clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties."

4. धारा-152 दो सिद्धान्तों पर आधारित है :-

1. न्यायालय के कार्य से किसी पक्षकार को प्रतिकूलता/ हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, और

2. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि अभिलेख सही है और सही स्थिति को प्रस्तुत करता है।

5. गणितीय त्रुटि गणना की त्रुटि है, जबकि लिपिकीय त्रुटि लिखने या टंकित (टाइप) करने की त्रुटि है। किसी अकस्मात फिसलन (आकस्मिक भूल) या लोप से हुई त्रुटि, एक ऐसी गलती (त्रुटि) है, जो बिना किसी अभिप्राय के और अनजाने में की जाती है।

6. किन्हीं तथ्यों या विधि के प्रश्न पर उसका पता लगाने के लिए विस्तृत बहस या साक्ष्य की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी कोई त्रुटि को आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न त्रुटि नहीं कहा जा सकता, जो धारा-152 की परिधि के भीतर आती हो। जहाँ न्यायालय ने एक विधिक उपबंध पर विचार किया और सचेत होकर विचार कर किसी गलत निष्कर्ष पर आया, और उसे सही माना, तो प्रत्यक्षतः यह एक ऐसी त्रुटि नहीं है, जो आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न हुई हो, बल्कि यह सचेत होकर की गई गलती है, जिसे धारा-152 के अधीन सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यथित पक्षकार को केवल एक उपचार प्राप्त है कि वह अपील फाईल करे।

7. निर्णय एवं डिक्री में हुई त्रुटि को ठीक करने लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। लिपिकीय एवं गणित संबंधी त्रुटि कभी भी ठीक की जा सकती है, यहाँ तक कि अपील लम्बित रहने के दौरान भी न्यायालय त्रुटि को दूर कर सकता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि धारा-152 में वर्णित प्रकार की त्रुटि का एक बार पता चल जाने के उपरान्त संबंधित न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह तुरन्त ऐसी त्रुटि को ठीक करे।

8. धारा-152 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र केवल उस समय पोषणीय होगा, जब लेखन एवं गणित संबंधी त्रुटि न्यायालय द्वारा की गयी हो। यदि ऐसी त्रुटि पक्षकारों के द्वारा की गयी है तो धारा-152 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत करने में उनके स्तर से हुई त्रुटि में सुधार हेतु नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

9. यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि निर्णयों या आदेशों में की गई लिपिकीय या गणित संबंधित भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियाँ अंचल अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध की जा सकेगी। लिपिकीय (लेखन)/गणितीय भूल या अकस्मात फिसलन या लोप से हुई त्रुटि के सुधार की न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से सभी पक्षों को सूचित किया जाना अपेक्षित होगा।

10. उपरोक्त प्रावधानों एवं व्याख्या के आलोक में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण के संबंध में पूर्व में निर्गत

विभागीय पत्रांक-974(8), दिनांक-31.12.2018 एवं पत्रांक-756(8), दिनांक-28.10.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश संसूचित किये जाते हैं :-

10 (1). दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित स्वीकृति आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/टंकण भूल के कारण (क्रेता/विक्रेता की विवरणी/जमाबंदी रैयत / खतियानी रैयत के नाम, पता आदि में परिलक्षित त्रुटि/लोप) एवं लगान (राशि/कुल लगान से संबंधित त्रुटि) एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों का जमाबंदी डाटाबेस में संशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी।

संशोधन हेतु अंचलाधिकारी के ई-जमाबंदी लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए E-Resolver मेनू से स्वयं आत्मभारित आदेश पारित करेंगे तथा शुद्धिपत्र और जमाबंदी पंजी में संशोधन करेंगे।

10 (2). अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित स्वीकृति आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/टंकण भूल के कारण खाता, खेसरा, रकबा में हुई त्रुटि या मिल-जुमले खेसरा के दाखिल-खारिज होने के कारण किसी अन्य जमाबंदी के प्रभावित होने की स्थिति में, आदेश में किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-152 में निहित प्रावधानों के आलोक में आत्मभारित आदेश पारित करते हुये पूर्व में पारित लिपिकीय/टंकण भूलयुक्त आदेश को निरस्त करते हुए, पुनः भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में सही खाता, खेसरा, रकबा या अलग-अलग खेसरा के रकबा का दाखिल-खारिज का आदेश पारित करेंगे।

a. उदाहरण के लिए- अगर रैयत द्वारा दाखिल-खारिज हेतु हित अर्जित करने के साक्ष्य दस्तावेज में X प्लॉट का क्रय-विक्रय किया गया है, तथा लिपिकीय/टंकण भूल के कारण अंचल अधिकारी द्वारा Y प्लॉट के दाखिल-खारिज की स्वीकृति आदेश पारित किया जा चुका है, या इसी प्रकार की त्रुटि खाता/ रकबा में हुई हो या रैयत द्वारा हित अर्जित करने के साक्ष्य में कोई मिल-जुमले रकबा का क्रय किया गया हो तथा अंचल अधिकारी द्वारा भी मिल-जुमले रकबा का दाखिल-खारिज का आदेश पारित किया जा चुका हो, तथा ऐसे में रैयत द्वारा खाता, खेसरा, रकबा में हुई त्रुटि या मिल-जुमले खेसरा के दाखिल-खारिज होने से संबंधी सुधार हेतु आवेदन प्राप्त होता है या अंचल अधिकारी को स्वयं ज्ञात होता है तब आदेश में सुधार से किसी अन्य जमाबंदी के प्रभावित होने की स्थिति में, आदेश में किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-152 में निहित प्रावधानों के आलोक में आत्मभारित आदेश पारित करते हुये पूर्व में पारित लिपिकीय/टंकण भूल युक्त आदेश को निरस्त करते हुए, (चूंकि लिपिकीय संशोधन से मूल आदेश की भावना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन

नहीं हो रहा है तथा कोई अन्य पक्ष व्यथित नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में) अंचल अधिकारी पुनः भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में स्वयं अपने कार्यालय से सही खाता, खेसरा, रकबा या अलग-अलग खेसरा के रकबा के साथ आवेदन दायर कर दाखिल-खारिज का आदेश पारित करेंगे।

10 (3). अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन अगर रैयत द्वारा दाखिल-खारिज में अंकित खाता, खेसरा, रकबा हित अर्जित करने के साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार की गई है, लेकिन रैयत के शिकायत पर या स्वतः यह ज्ञात होता है कि हित अर्जित करने के साक्ष्य दस्तावेज में ही रैयत द्वारा गलत खाता, खेसरा इंद्राज हो गई हो, तथा संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि के कारण सृजित जमाबंदी में त्रुटि हो गयी हो, तब आवेदक या अंचल अधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अपील वाद दायर किया जायेगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि को ही अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित करना उचित रहेगा। तत्पश्चात् आवेदक दस्तावेजों में त्रुटि का सुधार के उपरांत नए दस्तावेज के अनुसार दाखिल-खारिज हेतु आवेदन कर सकता है।

a. उदाहरण के लिए – अगर कोई रैयत किसी मौजा के X प्लॉट का क्रय कर दखल-कब्जा में है, लेकिन दाखिल-खारिज हेतु हित अर्जित करने के साक्ष्य दस्तावेज में गलती से x प्लॉट की जगह y प्लॉट इंद्राज हो गया हो, तथा भूलवश अंचल अधिकारी द्वारा भी y प्लॉट का दाखिल-खारिज का स्वीकृति आदेश पारित किया जा चुका हो, या इसी तरह की त्रुटि खाता, रकबा, क्रेता/ बिक्रेता विवरण, चौहद्दी इत्यादि में हो तब ऐसे में रैयत के शिकायत पर या स्वतः यह ज्ञात होता है कि हित अर्जित करने के साक्ष्य दस्तावेज में ही रैयत द्वारा गलत खाता, खेसरा, रकबा, क्रेता/ बिक्रेता का नाम/ चौहद्दी इत्यादि इंद्राज हो गई हो, तथा संलग्न दस्तावेजों में त्रुटि के कारण सृजित जमाबंदी में त्रुटि हो गयी हो, तब आवेदक या अंचल अधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए आवेदन दिया जायेगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सुनवाई की प्रथम तिथि को ही अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित करना उचित रहेगा। तत्पश्चात् आवेदक दस्तावेजों में त्रुटि का सुधार के उपरांत नए दस्तावेज के अनुसार दाखिल-खारिज हेतु आवेदन कर सकता है।

10 (4). उपरोक्त कंडिका 10(2) एवं 10(3) के अंतर्गत अंचल अधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित आदेश के आलोक में पूर्व के त्रुटि पूर्ण आदेश को निरस्त करने हेतु अंचल अधिकारी द्वारा उनके Login में उपलब्ध "Court Case Order Compliance" Module से किया जाएगा।

10 (5). यदि दस्तावेज/ आवेदन में किसी प्रकार का सुधार अपेक्षित नहीं हो और रैयत अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में की गई त्रुटि/ आदेश से विक्षुब्ध हो और आदेश में संशोधन अपेक्षित

हो, तो ऐसी स्थिति में, आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष विधिवत् अपील वाद दायर करने के उपरान्त, अग्रेतर कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के आलोक में की जायेगी।

नोट: अंचल अधिकारी दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/टंकण भूल के कारण किसी प्रकार के संशोधन के पूर्व, सम्बद्ध पक्ष/आवेदक द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन कर, इस बिन्दु पर संतुष्ट हो लेंगे कि लिपिकीय संशोधन से मूल आदेश की भावना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, एवं लेखन एवं गणित संबंधी त्रुटि न्यायालय द्वारा ही की गई हो।

कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु०-प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति

विश्वसभाजन

(जय सिंह) 01/03/25
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/विविध मार्गदर्शन -07-10/2024-.....597.....(9A)/रा0 दिनांक.....01/03/25
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 01/03/25
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/विविध मार्गदर्शन -07-10/2024-.....597.....(9A)/रा0 दिनांक.....01/03/25
प्रतिलिपि:- सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 01/03/25
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/विविध मार्गदर्शन -07-10/2024-.....597.....(9A)/रा0 दिनांक.....01/03/25
प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 01/03/25
सचिव।

ज्ञापांक:-9A/विविध मार्गदर्शन -07-10/2024-.....597.....(9A)/रा0 दिनांक.....01/03/25
प्रतिलिपि:- विभागीय आई० टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह) 01/03/25
सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भूमि सुधार कोषांग)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:- 31-12-20/8

विषय:-

ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों को ऑन-लाईन माध्यम से दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में कतिपय अधिकारियों द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के संबंध में पृच्छा की गयी है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-16 (अध्याय-9) में वर्णित प्रावधानों का उपयोग किया जाता है जिसके तहत " समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों। "

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-152 में वर्णित है कि :-

Amendment of judgments, decrees or orders.- Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties.

अनुरोध है कि ऑन-लाईन माध्यम से दाखिल -खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण हेतु बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-16 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-152 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाय। तदोपरान्त जमाबंदी से संबंधित डाटाबेस में संशोधन हेतु प्रस्ताव सभी वांछित कागजातों यथा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश, संशोधन हेतु समर्पित साक्ष्य ईत्यादि के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि जमाबंदी डाटाबेस में सुधार हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

974
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 31/12
प्रधान सचिव।

निबधित

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भूमि सुधार कोषाग)

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
 अपर मुख्य सचिव।

सेवा मे,

सभी समाहर्ता,
 बिहार।

पटना, दिनांक - /2019

विषय - ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर लिपिकीय/गणितीय त्रुटियों के शुद्धिकरण के सबंध में।

प्रसंग - विभागीय पत्राक-974(8), दिनांक-31 12 2018

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अचलो को ऑन-लाईन माध्यम से दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एवं दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनो का निष्पादन भी किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षात्मक बैठको में कतिपय अधिकारियों द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के सबंध में पृच्छा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-16 (अध्याय-9) में वर्णित प्रावधानो का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत "समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अचलाधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजो को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामले में वही शक्तियाँ होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हो।"

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-152 में वर्णित है कि -

Amendment of judgments, decrees or orders - clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties

धारा-152 दो सिद्धान्तो पर आधारित है-

- 1 न्यायालय के कार्य से किसी पक्षकार को प्रतिकूलता/हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, और
- 2 न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि अभिलेख सही है और सही स्थिति को प्रस्तुत करता है।

गणितीय त्रुटि गणना की त्रुटि है, जबकि लिपिकीय-त्रुटि लिखने या टंकित (टाइप) करने की त्रुटि है। किसी अकस्मात् फिसलन (आकस्मिक भूल) या लोप से हुई त्रुटि एक ऐसी गलती (त्रुटि) है, जो बिना किसी अभिप्राय के और अनजाने में की जाती है।

किन्ही तथ्यों या विधि के प्रश्न पर उसका पता लगाने के लिए विस्तृत बहस या साक्ष्य की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी कोई त्रुटि को आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न त्रुटि नहीं कहा जा सकता, जो धारा-152 की परिधि के भीतर आती हो। जहाँ न्यायालय ने एक विधिक उपबन्ध पर विचार किया और सचेत होकर विचार कर किसी गलत निष्कर्ष पर आया, और उसे सही माना, तो प्रत्यक्षत यह एक ऐसी त्रुटि नहीं है, जो आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न हुई हो, परन्तु यह सचेत होकर की गई गलती है, जिसे धारा-152 के अधीन सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यथित पक्षकार को केवल एक उपचार प्राप्त है कि वह अपील फाईल करे।

निर्णय एव डिक्री में हुई त्रुटि को ठीक करने लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। लिपिकीय एव गणित सम्बन्धी त्रुटि कभी भी ठीक की जा सकती है, यहाँ तक कि अपील लम्बित रहने के दौरान भी न्यायालय त्रुटि को दूर कर सकता है।

धारा-152 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र केवल उस समय पोषणीय होगा जब लेखन एव गणित सबधी त्रुटि न्यायालय द्वारा कारित की गयी हो। यदि ऐसी त्रुटि पक्षकारों के द्वारा की गयी है तो धारा-152 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत करने में उनके स्तर से हुई त्रुटि में सुधार हेतु नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि धारा-152 में वर्णित प्रकार की त्रुटि का एक बार पता चल जाने के उपरान्त सबधित न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह तुरन्त ऐसी त्रुटि को ठीक करे।

यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि निर्णयो या आदेशों में की गई लिपिकीय या गणित सबधित भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियाँ अचलाधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध की जा सकेंगी। लिपिकीय (लेखन) भूल या त्रुटि के सुधार की न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से सभी पक्षों को सूचित किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु किसी पक्षकार के आवेदन पर की गई उपरोक्त कार्य की सूचना अन्य सभी सबद्ध पक्षकारों को दिया जाना अपेक्षित होगा।

उपरोक्त प्रावधानों एव व्याख्या के आलोक में ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियों के शुद्धिकरण के सबध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्राक-974(8), दिनांक-31 12 2018 में आशिक सशोधन करत हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं -

1 दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/टकण भूल के कारण (क्रेता/विक्रेता की विवरणी/जमाबदी रैयत/खतियानी रैयत के नाम पता आदि में परिलक्षित त्रुटि/लोप) एव लगान (राशि/कुल लगान से सबधित त्रुटि) एव चौहद्दी से सबधित त्रुटियों का जमाबदी डाटाबेस में सशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई अचलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

2 अचलाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/टकण भूल के कारण खाता, खेसरा, रकवा में हुई त्रुटि के कारण किसी अन्य जमाबदी के प्रभावित होने की स्थिति में, आदेश में किसी प्रकार का सशोधन सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप-समाहर्ता के आदेश के उपरान्त ही अचलाधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए, पुन आवेदक की सहमति प्राप्त कर, आवेदन सुधार के उपरान्त, दाखिल-खारिज आवेदन के साथ सलग्न साक्ष्यों के आधार पर किया जायेगा।

3 यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार अपेक्षित नहीं हो और राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी त्रुटि के कारण आदेश में सशोधन अपेक्षित हो, तो ऐसी स्थिति में, आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष विधिवत अपील वाद दायर करने के उपरान्त, अग्रतर कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के आलोक में की जायेगी।

नोट अचलाधिकारी दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन हेतु पारित आदेश में दृष्टिगोचर लिपिकीय/ टकण भूल के कारण किसी प्रकार के सशोधन के पूर्व, सम्बद्ध पक्ष/आवेदक द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन के साथ सलग्न साक्ष्यों का अवलोकन कर, इस बिन्दु पर सतुष्ट हो लेगे कि लिपिकीय सशोधन से मूल आदेश की भावना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, एव लेखन एव गणित सबधी त्रुटि न्यायालय द्वारा ही की गई हो।

विश्वासभाजन,
4/2/17
(विवेक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक - 756 (8) रा0,

पटना, दिनाक- 28-10-2019

प्रतिलिपि - सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक - 756 (8) रा0,

पटना, दिनाक- 28-10-2019

प्रतिलिपि - सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक - 756 (8) रा0,

पटना, दिनाक- 28-10-2019

प्रतिलिपि - सभी अचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक - 756 (8) रा0,

पटना, दिनाक- 28-10-2019

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एव भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।